कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 263/ 2020

श्री शरद कुमार, प्रभारी न्यायालय सुरक्षा, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक–31.08.2020 को प्रस्तुत किया गया है कि जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में स्थापित बैगेज स्कैनर में नियुक्त आरक्षी मुकेश कुमार यादव में बुखार से पीड़ित होने की समस्या पर उनके द्वारा दिनांक–31.08.2020 को बढ़ैयावीर स्थित सरकारी कैम्प में कोविड–19 का टेस्ट कराया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट पाजिटिव आयी गयी है इसके साथ ही अवगत कराया है कि उक्त आरक्षी के साथ तैनात अन्य आरक्षी गोपाल यादव को भी बुखार की समस्या है।

उपरोक्त पत्र पर कोविड–19 प्रिवेन्शन समिति जनपद न्यायालय, सुलतानपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर से आख्या तलब की गई जिसपर उन्होने आरक्षी श्री मुकेश कुमार यादव को कोरोना पाजिटिव होना बताया है। कोविड–19 प्रिवेन्शन समिति द्वारा निम्नवत आख्या प्रस्तुत की गई है:–

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated: 03.06.2020 के बिन्दु सं0 15 में निर्देशित किया गया है कि "Whenever the District Administration/ C.M.O. concerned is of the opinion that the District/ Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/ Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/ Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह गोपन अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0 1431/2020/सीएक्स–3 दिनांक 06.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देश के भाग–ख जो कार्यालय से समबन्धित दिशा निर्देश हैं, के बिन्दु सं0 5 के अनुसार कोविड 19 का केस पाये जाने पर कार्यालय को सैनिटाइज़न हेतु 48 घण्टे तक बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

समिति की राय में कोविड महामारी से बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर व शासनादेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर को 48 घण्टे के लिये बन्द कर साफ–सफाई व सैनिटाइज़ेशन कराया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated: 03.06.2020 व उपरोक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में जिला न्यायालय परिसर सुलतानपुर को 48 घण्टे बन्द करके साफ–सफाई व सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन कराया जाना आवश्यक है।

अतः न्यायालय परिसर आज दिनांक 01.09.2020 को तत्काल प्रभाव (समय 2.00 पी0एम0 से) व दिनांक 02.09.2020 को साफ सफाई व सैनिटाइज़ेशन हेतु

बन्द की जाती है। उपरोक्त अवधि में न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करा कर कोविड समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.08.2020 से 5 दिन पूर्व से जो भी कोरोना पाजिटिव पाये गये आरक्षी के सम्पर्क में आये हों वह स्वयं को होम क्वारण्टाइन कर सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें जिससे उनके नाम, पता व मोबाइल से चिकित्साधिकारी को अवगत कराया जा सके।

जिलाधिकारी सुलतानपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर व अधिशाषी अधिकारी सुलतानपुर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (न्यायालय भवन व अधिवक्ता चैम्बर आदि) का सम्पूर्ण सैनिटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1298/ LXXXVII/CPC/e-courts/Allahabad/Dated/28.07.2020 के अनुपालन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा सुनवाई से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिनों की भाँति सम्पन्न होगें जिसके सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजि0 आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति को प्रेषित की जाये तथा सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

01.9.20

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
01.09.2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुलतानपुर।
2- जिलाधिकारी सुलतानपुर।
3- जिलाधिकारी अमेठी।
4- पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर।
5- पुलिस अधीक्षक अमेठी।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
7- अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
8- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
9- बार एसोसिएशन कादीपुर।
10-बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
11-जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
12-सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

01.9.20

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
01.09.2020